पूजा यादव | रामूसिंह

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
1.10.21	कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया । अपील subject-to limitation दर्ज की जावे। अपील के साथ संलग्न स्थगन प्रा. पत्र पर विद्वान वकील अपीलांट को सुना गया । विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि मैंने प्रतिवादी सं. 13 ला. 15 के निहित हिस्से को खरीदा है। परन्तु वाद पत्र में मुझ को पक्षकार नहीं बनाया। मैंने आदेश 01 नियम 10 CPC का प्रा. पत्र तहत अदालत में पेश किया हुआ है, परन्तु उसका निस्तारण अभी नहीं हुआ है। अपीलाधीन निर्णय के रहते मेरे बयनामा के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं हो पा रहा है। मेरा प्रथमदृष्टया मामला सिद्ध है। अतः स्थगन प्रा. पत्र स्वीकार किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। अपील के साथ बयनामा दि. 22.7.2020 की फोटो प्रति पेश की गई है, जिसके अनुसार अपीलांट ने आराजी ख.नं. 22 रकबा 5.30 है० वाके ग्राम खोहरी तह० बानसूर में से सरताज कंवर से उसका 1/10 हिस्सा अर्थात 53 एयर रकबा खरीदा है। इसी प्रकार फोटो कॉपी बयनामा दि० 22.7.2020 के अनुसार अपीलांट ने मुरारी सिंह, सुमेर सिंह से आराजी ख० नं० 22 रकबा 5.30 है० में से उनका 1/10 हिस्सा अर्थात 53 एयर रकबा खरीदा है। चूंकि अपीलांट ने भूमि खरीदी है और उक्त बयनामों के आधार राजस्व रेकार्ड में अंकन	

— लगातार —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिका[री]
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	कराने का अपीलांट को अधिकार है। इसलिये स्थगन हेतु अपीलांट का प्रथम दृष्टया मामला बनना जाहिर होता है।
	अत: अपीलांट का स्थगन प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दि० 12.10.2018 अपीलांट द्वारा विवादित भूमि में से खरीदी गई भूमि की हद तक स्थगित किया जाता है। अपीलांट अपने बयनामों के आधार पर अपने नाम का अंकन राजस्व रेकर्ड में कराने हेतु स्वतंत्र है, परन्तु वह अपनी खरीदशुदा भूमि का बेचान नहीं करे।
	उपरोक्तानुसार अपील आंशिक स्वीकार कर तहत अदालत को आदेशित किया जाता है कि वो ०-धारा 212 R.T. एक्ट में उभयपक्ष को सुनकर उक्त प्रा.पत्र का निस्तारण C.P.C. के आदेश 39 नियम 3 (क) में दी गई समयावधि के अन्दर करे। अपीलांट वास्ते सुनवाई तहत अदालत में नियत दिनांक को उपस्थित हो।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। [signature]
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर